न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण कमांक निग0 671–दो/10 विरूद्ध आदेश दिनांक 9.4.10 पारित द्वारा अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना प्रकरण कमांक 218/2008–09/अपील.

———

मुन्नालाल शर्मा पुत्र स्व. श्री रामसेवक शर्मा
निवासी फरदुआ, तहसील लहार,
जिला भिण्ड म.प्र.

——— आवेदक

विरूद्ध

1– दिलीप कुमार
2– अनूप कुमार नाबालिक सरपरस्त मां
श्यामकली पत्नी श्री राजेश कुमार
निवासी फरदुआ तहसील लहार
जिला भिण्ड म.प्र.
3– ग्राम पंचायत फरदुआ
सचिव, ग्राम पंचायत फरदुआ
4– ग्राम पंचायत फरदुआ
सरपंच ग्राम पंचायत फरदुआ
5– रामबाबू
6– भगवती
7– राजेश कुमार पुत्रगण रामसेवक
समस्त निवासी फरदुआ तहसील लहार
जिला भिण्ड म.प्र.

——— अनावेदक

———

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री सुनील शर्मा ।
अनावेदक कं. 1, 2 व 7 की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश बेलापुरकर ।

———

:: आदेश ::

(आज दिनांक 9 फरवरी, 15 को पारित)

———

यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण कमांक 218/2008–09/अपील में पारित आदेश दिनांक 9–4–10 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सरपंच ग्राम पंचायत के द्वारा ग्राम असवार की नांमातरण पंजी क. 3 पर मृतक रामसेवक के स्थान पर रामबाबू आदि के हक में वारिसाना नामांतरण के आदेश दिए गए । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक क. 1 एवं 2 द्वारा एस.डी.ओ. के समक्ष अपील की गई जो आदेश दिनांक 26.6.09 द्वारा अस्वीकार की गई । एस.डी.ओ. के आदेश के विरूद्ध अनावेदक क. 1 एवं 2 ने अधीनस्थ न्यायालय में द्वितीय अपील पेश की जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा स्वीकार की है । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3– आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उन्हें सूचना तामील कराए बिना एकपक्षीय आदेश पारित किया है जो अवैधानिक है । यह भी कहा गया कि आवेदक एवं अनावेदक कमांक 5, 6 एवं 7 के पक्ष में वारिसाना नामांतरण हुआ है, जिसकी पुष्टि एस.डी. ओ. द्वारा की गई है । एस.डी.ओ. ने अपने आदेश के पैरा 6 में स्पष्ट रूप से लेख किया है कि अनावेदक क. 1 एवं 2 द्वारा जो बयनामा रामसेवक शर्मा से कराया है उस वयनामा के संपादित होने के पश्चात लंबी अवधि तक नामांतरण हेतु संबंधित न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की है । यह कहा गया कि विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि साम्य चाहने वालों को स्वच्छ हाथों से आना चाहिए । अपर आयुक्त ने अनावेदक क. 1 एवं 2 के कृत्य को नजरअंदाज कर आक्षेपित आदेश पारित किया है जो निरस्ती योग्य है ।

4– अनावेदक कमांक 1, 2 एवं 7 की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

5– उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया । यह प्रकरण नामांतरण संबंधी है जिसमें ग्राम पंचायत ने उत्तराधिकारियों के पक्ष में नामांतरण किया । तहसील में भी इस भूमि के संबंध में नामांतरण की चल रही थी किंतु तहसील में यह जानकारी होने पर कि ग्राम पंचायत ने नामांतरण कर दिया है और पंचायत को चूकि तहसीलदार की शक्तियां प्राप्त हैं इस कारण उन्होंने अपने यहां के प्रकरण को निरस्त कर दिया । जिसके

विरूद्ध अपील निरस्त हुई और द्वितीय अपील में अपर आयुक्त ने यह माना कि पंचायत के द्वारा नामांतरण प्रकिया का कोई पालन नहीं किया गया और तहसील में प्रकरण के विचाराधीन रहते उन्होंने आदेश पारित किया है इसलिए उनकी कार्यवाही को वैधानिक न मानते हुए आदेश निरस्त करते हुए प्रकरण प्रत्यावर्तित किया है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अपर आयुक्त के आदेश में कोई न्यायिक एवं विधिक त्रुटि नहीं है । प्रत्यावर्तन के उपरांत उभयपक्षों को अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर